

**राज्यपाल से मिले उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ के पदाधिकारी
केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी के संबंध में मानी गयी मांगों पर धन्यवाद ज्ञापित किया**

लखनऊ: 31 मार्च, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ के पदाधिकारीगण ने भेंट कर धन्यवाद दिया। प्रतिनिधिमण्डल में श्री इन्द प्रकाश तिवारी अध्यक्ष, श्री सुशील कुमार सिंह उपाध्यक्ष, श्री राज वर्द्धन सिंह महासचिव तथा कार्यकारिणी के सदस्य श्री अनन्जय कुमार राय एवं श्री अनिल कुमार सिंह उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ के एक प्रतिनिधिमण्डल ने 2 नवम्बर, 2016 को राजभवन में राज्यपाल से मिलकर जी0एस0टी0 के संबंध में अपनी मांगों का एक ज्ञापन दिया था। राज्यपाल ने वाणिज्य कर सेवा संघ के अधिकारियों के ज्ञापन का संज्ञान लेते हुये प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र प्रेषित किये थे। केन्द्र सरकार द्वारा ज्ञापन में उल्लिखित कई मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ की ज्यादातर मांगे पूरी होने पर संघ के पदाधिकारीगण ने राज्यपाल से भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित किया। जी0एस0टी0 विधियेक गत 27 मार्च को लोकसभा में पारित हुआ है।

राज्यपाल ने कहा कि जी0एस0टी0 के लागू होने से व्यापारियों को बेहतर अवसर मिलेगा। व्यापारियों को अलग-अलग जगह न जाकर एक ही जगह पर उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ के अधिकारियों से विभाग को और सुदृढ़ एवं क्रियाशील बनाने के लिये सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि जी0एस0टी0 का उत्तर प्रदेश को ज्यादा लाभ मिलेगा क्योंकि बड़ी आबादी वाला प्रदेश होने के कारण यहाँ बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ता हैं।

ज्ञापन में मुख्य रूप से व्यापारियों के लिये सिंगल इन्टरफेस जिससे व्यापारियों को अलग-अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़े, जी0एस0टी0 के तीनों एक्ट (एस0जी0एस0टी0, सी0जी0एस0टी0 एवं आई0जी0एस0टी0) में केन्द्र एवं राज्यों को समान अधिकार दिये जाने हेतु क्रॉस इम्पावरमेंट की व्यवस्था, 1.5 करोड़ वार्षिक टर्नओवर के वस्तु एवं सेवा सहित समस्त व्यापारियों पर राज्यों का एकल प्रशासन, राज्यों एवं केन्द्र के पास पंजीकृत 1.5 करोड़ वार्षिक टर्नओवर से ऊपर के डीलरों की वर्तमान संख्या के अनुपात में प्रशासन हेतु डीलरों का विभाजन, जी0एस0टी0 कांउसिल के सचिवालय में दो तिहाई पद राज्यकर्मियों को दिये जाने के संबंध में मांग की गयी थी।

अंजुम/ललित/राजभवन (119/49)

